पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित । अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2019 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के 1955 के तहत पेश किया गया । उक्त वाद पेश करने पर अधी0न्याया0 द्वारा जांच रिपोर्ट के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 14.8.2019 द्वारा वादपत्र को दर्ज कर सुनवाई हेतु दिनांक 27.8.2019 को पेशी नियत की गई परन्तु विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली को नियत पेशी दिनांक 27.8.2019 से पूर्व ही बिना दिनांक अंकित किये विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना वादी/अपीलांट को वाद सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसकी जानकारी अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को नियत पेशी दिनांक 27.8.2019 को होने पर दिनांक 28.8.2019 प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 29.8. 2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी तिथि दिनांक 27.8.2019 को ही निर्णय व डिक्री पारित होना मानकर समयावधि के भीतर यह अपील पेश की है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 116/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2019 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1984 पेज 51 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2019 पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं किये जाने से अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 14.8.2019 के अनुसार वादी/अपीलांट का वाद पत्र दर्ज किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 27.8.2019 नियत की गई किन्तु इससे पूर्व ही जा0दी0 में उल्लेखित प्रावधानों की पालना किये बिना सरसरी तौर पर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत वादपत्र को निरस्त करने का निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जो कि उपरोक्त विवेचनानुसार नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जा0दी0 में वर्णित विधिक प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना करते हुए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।